

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
1-रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)



**MADHYA PRADESH PUBLIC
SERVICE COMMISSION, 1-
RESIDENCY AREA, INDORE (M.P.)**

ई- प्रवेश पत्र / e-Admit Card

म. प्र. राज्य पात्रता परीक्षा 2022
STATE ELIGIBILITY TEST 2022



आवेदन क्रमांक / APPLICATION NUMBER	SET221302053338	
अनुक्रमांक / ROLL NUMBER	166601	
पात्रता की श्रेणी / ELIGIBILITY CATEGORY	UR	
परीक्षार्थी का पूरा नाम / CANDIDATE'S FULL NAME	POOJA SUGANDHI	
परीक्षार्थी के पिता का पूरा नाम / CANDIDATE'S FATHER'S NAME	MAHENDRA	
जन्म तिथि/ DATE OF BIRTH	11/12/1998	
लिंग / GENDER	FEMALE	
दिव्यांगजन/ PHYSICALLY HANDICAPPED	NO	
भूतपूर्व सैनिक / EX-SERVICEMAN	NO	(परीक्षार्थी के हस्ताक्षर/Candidate's Signature)
परीक्षार्थी का पता पिन कोड सहित/ CANDIDATE'S ADDRESS WITH PIN CODE	HOUSE NO 12 EKTA NAGAR COLONY WARD NO 08 BARWANI BARWANI MADHYA PRADESH 451551	

परीक्षा समय-सारणी / Examination Time-Table

परीक्षा की तारीख व समय / Date & Time of Examination	परीक्षा कक्ष में उपस्थिति का समय / Reporting Time in Examination Hall	विषय/ Subject	प्रश्नपत्र	समय Time	परीक्षा केंद्र कोड / Exam Centre Code	परीक्षा केंद्र का नाम व पता / Exam Center's Name & Address
27/08/2023 12:00 PM TO 3:05 PM	11:30 AM	General Paper on Teaching and Research Aptitude	प्रथम	12:00 PM- 1:00 PM	1/48	Shri B.D.Toshniwal Maheshwari Bal Mandir, 51, Chhatribagh, Near Saibaba Mandir, Indore (M.P.)
		Life Sciences--18	द्वितीय	1:05 PM - 3:05 PM		

--- अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश ---

- परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त निम्न में से कोई एक मान्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र अवश्य लाएँ। बिना मान्य पहचान-पत्र के परीक्षा-कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (मान्य पहचान पत्र : i- मतदाता परिचय-पत्र, ii- आधार कार्ड, iii- पेन कार्ड, iv- केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय/अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, v- पासपोर्ट, vi- फोटोयुक्त बैंक पासबुक, vii- शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामलों में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र, viii- ड्राइविंग लाइसेंस, ix- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोयुक्त परिचय-पत्र)
- परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। परीक्षा कक्ष में 11:30 AM पर प्रवेश प्रारम्भ होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 05 मिनट पूर्व (11:55AM) पर परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष में उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे एवं निर्धारित स्थान पर अपने बाएँ हाथ के अँगूठे का अथवा बाएँ हाथ का अँगूठा न होने पर दाएँ हाथ के अँगूठे का निशान अवश्य लगाएंगे।

कृपया महत्वपूर्ण निर्देश अगले पृष्ठ पर देखें।



(परीक्षा नियंत्रक सेट)

:: परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश ::

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी भी प्रकार के संचार उपकरण जैसे:- मोबाइल-फोन, स्मार्टवाच, ईयर फोन तथा किसी भी प्रकार का केलक्यूलेटर आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा हॉल/ कक्ष में परीक्षार्थी के पास पेन्सिल, रबर, व्हाइटनर, मोबाइल/किसी भी प्रकार का संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जाँच की जाएगी। इस हेतु परीक्षार्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है :-

1. **वर्जित वस्तुएँ:-** परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा-कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे :- बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटेलिक/चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वॉलेट, टोपी आदि वर्जित है।
2. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश-पत्र को अनिवार्य रूप से साथ में लाएँ।
3. कृपया ध्यान रखें, राज्य पात्रता परीक्षा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा "रोजगार एवं निर्माण" में प्रकाशित राज्य पात्रता परीक्षा - 2022 के विज्ञापन क्रमांक 01 /सेट /परीक्षा /2023, दिनांक 08.01.2023 तथा इससे संबंधित जारी विज्ञापितियों/शुद्धिपत्रों के अंतर्गत संपादित की जा रही है।
4. अपने प्रवेश-पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश-पत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है।
5. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या आप अनर्ह पाए जाते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
6. परीक्षा-कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें एवं समस्त कार्य काले डॉट पेन से ही करें।
7. ओ.एम.आर. शीट पर पेन्सिल, रबर एवं व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षार्थी पूर्णतया सोच समझ कर O.M.R शीट में उत्तर दर्ज करें। एक बार दिये गये उत्तर को किसी भी प्रकार से बदलने का प्रयास पूर्णतया वर्जित है।
8. परीक्षार्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट को कक्ष के वीक्षक के हाथ में ही सौंपे एवं उनकी अनुमति पश्चात् ही कक्ष छोड़ें।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा-हॉल/कक्ष से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
10. परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की जाँच/मिलान स्वयं के ऑनलाइन आवेदन-पत्र से कर लें, उसमें कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक सेट, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को तुरन्त सूचित करें।
11. ओ.एम.आर. शीट में केवल निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक अंकित करें। अन्य किसी स्थान पर अनुक्रमांक, नाम अथवा अन्य कोई पहचान चिन्ह बनाये जाने पर ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
12. जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के अनुसार, ऑनलाइन प्रवेश-पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं या अनुपलब्ध हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, ऐसे परीक्षार्थी निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें :-
(अ) अपने ऑनलाइन प्रवेश-पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो आवंटित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष से प्रमाणित कराएं।
(ब) अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएँ, उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लिकेशन नम्बर एवं अनुक्रमांक अंकित करें।
(स) अपने साथ अपने आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति (जो फॉर्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी) ले जाएँ तथा मांगे जाने पर वीक्षक को प्रस्तुत करें।
13. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर परीक्षार्थी अपनी आपत्ति, परीक्षा नियंत्रक सेट, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रमाण के साथ 07 दिवस की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, न ही पत्राचार किया जाएगा।
14. परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे, अतः परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in को ही देखें।
15. आयोग से परीक्षा संबंधित पत्र व्यवहार/सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी के लिए प्रवेश-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
16. परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है।
17. ऐसे दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें परीक्षा में सहलेखक की पात्रता है, वे सहलेखक के सभी अभिलेखों के साथ आवंटित परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष से संपर्क कर अनिवार्यतः अनुमति प्राप्त करें। तदनुसार दिव्यांगजन परीक्षार्थियों हेतु सुविधाजनक व्यवस्था की जा सकेगी। सह लेखक की पात्रता वाले दिव्यांगजन को ही विज्ञापन में वर्णित निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।
18. परीक्षार्थियों के पास प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र की संयुक्त O.M.R शीट रहेगी प्रथम भाग में प्रथम प्रश्न पत्र के उत्तर 01 से 50 व द्वितीय भाग में द्वितीय प्रश्न पत्र के उत्तर 51 से 150 के क्रम में अंकित करना है। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
19. आरक्षित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थियों को राज्य पात्रता परीक्षा में यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।
20. **विषय कोड -20 गणितीय विज्ञान के लिए विशेष निर्देश-** परीक्षार्थियों का ऐच्छिक विषय गणितीय विज्ञान (Mathematical Sciences) कोड -20 है उनको कुल 100 प्रश्न करना है। उनके प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं प्रथम भाग अनिवार्य है जिसमें 10 प्रश्न हैं - 51 से 60 के क्रम में है। द्वितीय भाग में 90 प्रश्न हैं 61 से 150 के क्रम में यह भाग मेथेमेटिक्स के विषयों का है व तृतीय भाग में 90 प्रश्न हैं जिनका क्रम भी 61 से 150 के क्रम में है। यह भाग सांख्यिकी का है। परीक्षार्थी विशेष ध्यान रखें कि भाग एक अनिवार्य है। परीक्षार्थी भाग 1 व 2 करें अथवा भाग 1 व 3 करें।
21. कृपया अपनी O.M.R शीट में स्पष्ट रूप से दर्ज करें कि आप मेथेमेटिक्स विषयों का चयन किया है या सांख्यिकी विषय का चयन किया है ताकि O.M.R शीट के मूल्यांकन में कोई कठिनाई नही हो।
22. **विषय कोड-21 संगीत के लिए निर्देश -** परीक्षार्थियों का ऐच्छिक विषय संगीत(Music) (कोड-21) है उनको कुल प्रश्न 100 प्रश्न करना है। उनके प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं प्रथम भाग में, जिसमें 40 प्रश्न हैं- 51 से 90 के क्रम में -यह भाग अनिवार्य है। इसे संगीत व अवनद्ध वाद्य दोनों विषय के परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों के उत्तर देना है द्वितीय भाग में शेष 60 प्रश्न हैं 91 से 150 के क्रम में है यह भाग केवल संगीत विषय का है इस भाग के उत्तर केवल संगीत विषय के परीक्षार्थियों को देना है। तृतीय भाग अवनद्ध वाद्य का है जिसमें शेष 60 प्रश्न हैं जिनका क्रम भी 91 से 150 है परीक्षार्थी विशेष ध्यान रखें कि प्रथम भाग संगीत व अवनद्ध वाद्य के लिए अनिवार्य है। भाग 1 व 2 संगीत के परीक्षार्थियों के लिए व भाग 1 व 3 अवनद्ध वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए है।
23. कृपया अपनी O.M.R शीट में स्पष्ट रूप से दर्ज करें कि आपने संगीत विषय का चयन किया है या अवनद्ध वाद्य विषय का चयन किया है ताकि O.M.R शीट के मूल्यांकन में कोई कठिनाई नही हो।



(परीक्षा नियंत्रक सेट)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग